FORM No.III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

आज अदालत:- न्यायालय अति0 जिला मजिस्ट्रेट मुकाम चूरू

केदारमल आदि बनाम तहसीलदार

किस्म - स्थगन प्रार्थना-पत्र मुकदमा न0 - 2025/50

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही सय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.03.2025	यह स्थगन प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अपीलाण्टस अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार तारानगर के आदेश दिनांक 02.11.2022 की पालना स्थगित करवाने हेतु निवेदन किया जिस पर बहस एकपक्षीय सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने अपील व प्रार्थना-पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण विवादित भूमि मूल खातेदार से खरीद कर ग्राम पंचायत से पट्टा जारीशुदा है जिस पर प्रार्थीगण के पक्के मकान है बिजली कनेक्शन भी है। तहसीलदार तारानगर ने प्रार्थी अपीलाण्ट को ग्राम चंगोई की खसरा संख्या 284 तादादी 0.4299 हैक्टेयर गै.मुमकिन कुण्ड पर अतिक्रमी मानकर आदेश पारित किया है। यदि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की पालना करवायी जाती है तो प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील का उद्देश्य ही समाप्त हो जायेगा तथा प्रार्थीगण समुचित न्याय निर्णयन से महरूम हो जावेगा। अतः ता फैसला अपील अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व आदेश पर रोक लगाया जाना आवश्यक है। तहसीलदार तारानगर के निर्णय व आदेश दिनांक 02.11.2022 के आदेश की क्रियान्विती ता फैसला अपील स्थगित फरमाई जावे। प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली तथा अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश की प्रमाणित प्रति का अवलोकन किया गया। मुताबिक पटवारी रिपोर्ट प्रार्थीगण ने खसरा संख्या 284 रोही ग्राम चंगोई किस्म गैर मुमकिन कुण्ड पर आवासीय मकान व चारदिवारी निर्माण बनाकर अतिक्रमण कर रखा है। दौराने बहस प्रार्थीगण अधिवक्ता ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण को अतिक्रमी मानते हुए बेदखली का आदेश पारित किया है जबकि प्रार्थीगण गाँव की आबादी भूमि से चिपती हुई भूमि जिसे प्रार्थीगण ने मूल खातेदार से खरीद की थी जिसका पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा आबादी भूमि का विक्रय विलेख जारिशुदा है। अधीनस्थ न्यायालय ने हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो पायतन व आबादी भूमि को नापकर उसकी सीमा बताये बगैर ही यह गलत रिपोर्ट पेश की है। प्रार्थीगण ने इस स्थगन प्रार्थना-पत्र द्वारा तहसीलदार तारानगर द्वारा पारित निर्णय व आदेश दिनांक 02.11.2022 की क्रियान्विती स्थगित करने हेतु निवेदन किया है। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को 02 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो चुका है तथा प्रार्थीगण द्वारा पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं है जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश के स्थगन हेतु विचार किया जा सके। अतः प्रथम दृष्ट्या सुविधा व संतुलन को देखते हुए स्थगन दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार तारानगर द्वारा वादगत भूमि के सम्बन्ध में पारित आदेश दिनांक 02.11.2022 की क्रियान्विति स्थगित करने का स्थगन प्रार्थना-पत्र, खारिज किया जाता है। स्थगन प्रार्थना-पत्र फैसल शुमार होकर मूल अपील के संलग्न रहे। अति0 जिला कलक्टर, चूरू	